मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 6265/एनआर–4/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 22/06/10

प्रति,

अत्यंत महत्वपूर्ण

कार्यपालन यंत्री (नाम से)
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
भोपाल एवं रायसेन

विषय :– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, केन्द्र पोषित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एवं बेकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अभिसरण से बनने वाली बारहमासी ग्रामीण सड़कों (ग्रामीण संपर्क सड़क योजना) हेतु वित्त एवं लेखा व्यवस्था संबंधी कार्यवाहियों हेतु मानक यूनिट बनाने के संबंध में।

––0––

दिनांक 22/06/10 को शासन स्तर पर ग्रामीण संपर्क सड़क योजना की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण संपर्क सड़क योजना के वित्त एवं लेखा निर्देश संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में प्रसारित किये गये हैं। इनसे आप भलीभांति अवगत हैं।

वित्त एवं लेखा से संबंधित निर्देशों के पालन हेतु आपके कार्यालयों को मानक यूनिट बनाया गया है। अतः ग्रामीण संपर्क सड़क योजना के वित्त एवं लेखा संबंधी कार्यवाही को सूक्ष्म रूप से निर्देशानुसार संपादित करें। आपके कार्यालयों में वित्त एवं लेखा संबंधी कार्यों को आवश्यकता पड़ने पर अन्य यूनिटों को भी सूचित किया जायेगा।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपके यूनिटों का समय–समय पर भ्रमण एवं आपसे तत्काल ही जानकारी प्राप्त की जायेगी। अतः सभी औपचारिकताएं पूर्ण रखें।

22/6/10
(डॉ. राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,

पृ.क्र. 6266/वित्त एवं लेखा/एनआर–4/NREGS-M.P/2010 भोपाल, दिनांक 22/06/10

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ कृपया आप भी इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल संभाग की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल एवं रायसेन की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त जिलें की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित योजना के वित्त एवं लेखा संबंधी अभिलेख आदि अद्यतन रखें एवं नियमानुसार कार्यवाही करें। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपके यूनिटों का समय–समय पर भ्रमण एवं आपसे तत्काल ही जानकारी प्राप्त की जायेगी। अतः सभी औपचारिकताएं पूर्ण रखें। इसे महत्वपूर्ण माने।

22/6/10
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,